कार्यालय जिलाधिकारी, आजमगढ़

संख्या– /व्यवस्थापन/2018–19/आजमगढ़ दिनांक– अप्रैल,2018

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश सं0 1347–1421/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19 दिनांक 06–04–2018 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु जनपद आजमगढ़ की दिनांक 19–03–2018 एवं 26–03–2018 को ई–लाटरी के पश्चात अवशेष देशी शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी द्वारा तृतीय चरण में सुसंगत नियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तो के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है–

1– इच्छुक आवेदक, आवेदन के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हैसियत प्रमाण पत्र गतवर्ष, आयकर रिर्टन एवं शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप) में संलग्न करना होगा। यदि वह सह आवेदक के साथ आवेदन करता है तो सह आवेदक का विवरण भी भरना होगा। देशी शराब, विदेशी मदिरा के प्रति आवेदन पत्र की 15000/– प्रोसेंसिंग फीस 0039 राज्य उत्पाद शुल्क, 00–8–000–508 में पोर्टल द्वारा स्वतः आनलाइन आहरित की जायेगी तथा उस पर प्रति आवेदन फार्म 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि विभागीय जी0एस0टी0 एकाउन्ट में पोर्टल द्वारा आवेदक के खाते से स्वतः आहरित होते हुए देय होगी। दुकान हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि आनलाइन देय होगी।

2– आवेदक पर कोई आबकारी देय या ब्रीच (उल्लंघन) का बकाया न हो।

3– आवेदक की उम्र 21 वर्ष से कम न हो।

प्रथम एवं द्वितीय चरण की ई–लाटरी के पश्चात वर्ष 2018–19 हेतु अवशेष आबकारी दुकानों का विवरण निम्नवत् है–

देशी शराब

क्र0 सं0	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2018–19 का निर्धारित M.G.Q. (36%v/v) ब0ली0 में	निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की M.G.Q.x 28	निर्धारित लाइसेंस फीस वर्ष 2018–19 M.G.Q.x 222	प्रतिभूति धनराशि वर्ष 2018–19 ला0फी0 का 10%	धरोहर धनराशि	आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहदेवगंज	ग्रामीण	35640	997920	7912080	791208	99792	1485000
2	कौरागहनी	ग्रामीण	21516	602448	4776552	477655	60245	896500
3	कबूतरा	ग्रामीण	15588	436464	3460536	346054	43646	649500
4	दुलारगंज	ग्रामीण	30324	849072	6731928	673193	84908	1263500

आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया :–

1– ई–लाटरी प्रणाली से सम्बन्धित पोर्टल **upexciseelottery.gov.in** पर किसी भी आवेदक को सर्व प्रथम अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के समय सर्वप्रथम उसको अपना आधार नं0 एवं उसके नीचे दिया गया कैप्चा भरना होगा। यह कार्य करते ही उसके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नं0 पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसे उसको यथा स्थान भरना आवश्यक होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा जिसमें आवेदक को पैन नम्बर सहित कतिपय सूचनाएं भरनी होगी।

2– आवेदक के सफल पंजीकरण पर उसको एक रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड उसके मोबाइल नं0/ई–मेल पर प्रेषित की जायेगी।

3– पोर्टल में प्रवेश करके आवेदक जनपद आजमगढ़ की उपरोक्तानुसार अवशेष देशी मदिरा की 04 दुकानों के सम्बन्ध में दुकान का नाम एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

समय सारिणी :–

1– उपरोक्त जनपद आजमगढ़ की देशी शराब की 04 दुकानें के आनलाइन आवेदन करने की अवधि 07–04–2018 की प्रातः 10:00 बजे से 12–04–2018 को रात्रि 11:30 बजे तक।

2– ई–लाटरी का दिनांक 16–04–2018 समय 09:00 बजे से।

3– ई–लाटरी का स्थल कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ के बेवसाइट **azamgarh.nic.in** पर दुकानों का विवरण उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी आजमगढ़ एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

6.4.18

(शिवाकान्त द्विवेदी)
जिलाधिकारी
आजमगढ़।

जिला आबकारी अधिकारी
आजमगढ़।

संख्या– /आ0लि0/व्यवस्थापन–2018–19 दिनांक– ,अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि– 1– पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 16–04–2018 को प्रातः 09:00 बजे से होने वाली सार्वजनिक ई–लाटरी में चयन समिति के सदस्य होने के कारण स्वयं उपस्थित रहते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आजमगढ़ को इस निर्देश से प्रेषित कि दिनांक 16–04–2018 को होने वाली ई–लाटरी सम्बन्धित समस्त तकनीकी व्यवस्था पूर्ण कराये।

3– नाजिर कलेक्ट्रट, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 16–04–2018 को प्रातः 09:00 बजे से कलेक्ट्रेट परिसर स्थिति सभागार को आवंटित/आरक्षित करना सुनिश्चित करें।

4– जिला आबकारी अधिकारी/समस्त आबकारी निरीक्षक को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त तिथियों को सम्बन्धित से सम्पर्क रखते हुए समस्त कार्यवाही समय एवं सकुशल सम्पन्न कराये।

5– प्रधान सम्पादक हिन्दी दैनिक– दैनिक जागरण एवं अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति आगामी अंक में न्यूनतम सरकारी दर पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें एवं बिल जिला आबकारी अधिकारी आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करें।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
जिलाधिकारी
आजमगढ़।